खाद्य सुरक्षा कार्यालय, राँची।

Food and Drug Administration Building,
Near Blood Bank, Sadar Hospital Campus, Ranchi (JH)-834001
(E-Mail: do.foodranchi@gmail.com)

पत्रांक...72.../खा०सु०

प्रेषक,

अभिहित अधिकारी–सह–
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।

सेवा में,

360 Research Foundation अनुसंधान प्रतिष्ठान,
Tumakadiya, Shikarpur, Narkatiaganj, West Champaran, Bihar-845455

राँची, दिनांक...24-03-2025

विषयः **राँची जिला अंतर्गत खाद्य कारोबारियों/खाद्य प्रतिष्ठानों को FoSTaC Training कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय पत्रांक–67/खा०सु० दिनांक–20.03.2025 द्वारा राँची जिला अंतर्गत खाद्य कारोबारियों/खाद्य प्रतिष्ठानों को प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु कोटेशन की माँग की गई था। उक्त के आलोक में कार्यालय को प्राप्त कोटेशन में आपके एजेंसी का दर न्यूनतम होने के कारण राँची जिला अंतर्गत खाद्य कारोबारियों/खाद्य प्रतिष्ठानों को FoSTaC Training कराने हेतु आपके एजेंसी का चयन एवं शुल्क का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है।

Sl. no.	Training	Participants and Duration	Training fees per batch-100 FBO's
01	FoSTaC Training	Maximum 100 participants per batch and duration of each course of 4 hours	INR 😕 😕 Including GST

Note-GST include all FSS Training

शर्ते–

1. सभी कार्यक्रम FSSAI Guideline के अनुरूप संचालित होगे।
2. FoSTaC कार्यक्रम FSSAI द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रशिक्षक एवं आकलनकर्ता द्वारा करना सुनिश्चित करेगे।
3. प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि FSSAI द्वारा निर्धारित समय से कम नहीं होनी चाहिए।
4. अभिलेखों यथा–नामांकरण प्रपत्र (Enrollment Form) आधार कार्ड के साथ, उपस्थिति पंजी, Assessment Paper, Feedback Form अनिवार्य रूप से संधारित कर 10 दिनों के अंदर अभिहित अधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची/खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, राँची को समर्पित करना होगा।
5. प्रशिक्षण के पूर्व एवं बाद में सभी प्रतिभागियों के साथ सामूहिक फोटो खिंचवाना अनिवार्य है।
6. एजेन्सियों द्वारा किसी विषय से संबंधित प्रशिक्षण हेतु स्थान एवं उसकी जानकारी अभिहित अधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची/खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, राँची को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना होगा।
7. प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम से स्थान, इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोजेक्टर, White Board, Flip Chart आदि की व्यवस्था संबंधित एजेंसी द्वारा किया जायेगा।
8. प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र, प्रतिभागियों को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आदेश प्राप्त होते ही प्रारंभ करना सुनिश्चित किया जाये एवं समाप्ति 28 मार्च 2025 तक करना सुनिश्चित किया जाये। प्रशिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व अपने टीम मेम्बर्स का नाम, पता, आधार कार्ड, मोबाईल संख्या इत्यादि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार की शिकायत/अनियमितता पाये जाने पर कार्यादेश को निरस्त किया जा सकता है।
11. यह प्रशिक्षण खाद्य सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय, स्वास्थ्य, चिकित्सा–शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के सं०सं०–खाद्य/FSSAI/11–13/2023 दिनांक–31.01.2025 में आवंटित राशि तक ही मान्य रहेगा।

24.3.25

अभिहित अधिकारी
–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, राँची।